## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, र्जण जनान न्ये०नि० व्यक्तेन(पिश्लेल्फ

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट(पिथौरागढ़)।

<u>E-mail- eepwdaskote@gmail.com</u> दिनांक & २-०२ -2021

पत्रांक-1/34,6/13 सी0 सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घो० संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.915 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में (Online No. FP/UK/ROAD/31411/2018)। सन्दर्भः— इस कार्यालय का पत्रांक 1218/13सी0 दिनांक 06.07.2021।

महोदय.

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण ऑनलाईन कर दिया गया है। निराकरण हेतु अपलोड किये गये प्रपत्रों की हार्ड कापी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार। (45 पृष्ठ) 🗙 ५ प्राप्ते

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, - जिस्कीट (पिथौरागढ़)

पत्रांक / 13 सी0 तद्दिनांक प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो०नि०वि० पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः– वन सरंक्षक उत्तरी कुमायू वृत्त अल्नोड़ा को (संलग्नक सहित) प्रेषित। प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट को सूचनार्थ प्रेषित।

> अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, अस्कोट(पिथौरागढ़)

100.2021

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

पत्रांक- 1218/13 सी0

सेवा में,

## प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग पिथौरागढ।

विषयः-- जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घो० संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.915 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में (Online No. FP/UK/ROAD/31411/2018) संदर्भ:-- भारत सरकार के फाईल सं० 8बी/यू०सी०पी०/06/25/2021/एफ0सी/2463 दिनांक 15.03.2021 द्वारा आनलाईन लगाई गई आपत्ति के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण बिन्दुवार

निम्नवत है:--

क्र.	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
सं0		
1	It is seen that 0.28 ha area selected for muck disposal in foresr area. State Government is requested to avoid forest area for muck disposal and select some non forest land for this purpose	डम्पिंग यार्ड हेतु कुल 1.72 हे0 भूमि की आवश्यकता है। जिस हेतु अधिकतम नाप भूमि का प्रयोग करते हुए 1.440 हे0 ली गई है तथा शेष 0.28 हे0 ही वनभूमि चिन्हित की गई है।
2	On persusal of KML file of the proposed area. It has been noticed that village Dewal is already connected with the road. State Government is requested to submit the details of remaining habitation, their population and path distance from the nearest existing road	यह मार्ग देवल से होकर खोलियागांव, दारती खड़ियानी, छबीसा को जोड़ते हेतु जाता है। जिनकी जनसंख्या क्रमशः 1434, 249, 123, 27 ,81 है। प्रतिवेदन में सूचना अंकित है। तथा exsiting मोटर मार्ग से इन ग्रामों की दूरी कमशः 4.00 किमी0, 4.00 किमी0, 6.00 किमी0, 7. 00 किमी0 व 10.00 किमी0 है।
3	Details of 631 trees to be enumerated found uploaded at para 4 in part II and in tree emueration list. However it has been mentioned in the justification that tree counting done in 9 m width. State Government is requested to submit the tree enumeration list in 5.2 mtr width and at curve 6.1 mts. Width as the area is very dense and population is less in the area.	मार्ग में पेड़ो की गणना 6.00 में की गई है, एवं वनभूमि प्रस्ताव में मोटर मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 में ली गई है। औचित्यपूर्ण विवरण जस्टिफिकेशन में त्रुटिवश 9.00 मी0 में अंकित हो गया था जिसे सही कर दिया गया है।
4	Details of alternate not found uploaded at para D (ii) (a). may submit at least three alternate in this	वैकल्पिक समरेखन का तुलनात्मक विवरण अपलोड कर दिया गया है। वी0एल0सी0 मिटिंग के प्रपत्र अपलोड कर दिये गये है।
5	State Government is requested to upload submit the village level committee meeting proceedings of each village separately	एफ0आर0ए0 में पत्रांक ओर दिनांक अंकित करा अपलोड
6	of each village separately Letter number and date is not found mentioned in FRA certificate of district Magistrate State Government may do the needful in this regard	कर दिया गया है। पूर्व में वनभूमि प्रपत्रों में केवल जिलाधिकारी स्तर का
7	Government may do the needful in uncog Date of meeting of District Level Committee is mentioned as 21-08-2018 and 26-12-2017 in two different document. State Government may clarify this.	प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2017 को प्रदत्त किया गया था, बाद में जिला स्तरीय समिति का प्रमाण पत्र भी मांगे
	this.	

D:\Latter Forest2222222222.doc

A State		ि मार २२ २०२१ को जिला
		जाने के कारण पुनः दिनांक 21.08.20218 को जिला
		स्तरीय समिति के सदस्या का बठपर पर पर
8	As per DSS analysis of CA area proposed in civ soyam land 6 ha, Area found in VDF	कारण दोनों प्रपत्रों में भिन्न दिनांक अंकित है।
	soyam land 6 ha Area CA area proposed in civ	il प्रपत्र अपलोड कर दिये गये है।
	soyam land 6 ha. Area found in VDF and 2 ha. I MDF State Government	n
	MDF State Government may submit the list of trees standing in the CA area and a list of the list of the standing in the CA area and a list of the list of the standard standar	f
	trees standing in the CA area and submit the list of inspection report of the concerned DFO.	e
9	State Government is reconcerned DFO.	
	State Government is requested to check the rate mentioned in the CA scheme which does no appear to correct	e क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्किम नई दरों से तैयार कर
	appear to correct	t अपलोंड कर दी गई है।
10	Documents uploaded at L (iv) g & h are no correct. State Government	
	correct. State Government may upload the correct documents at $L(iv) = 8 + i$	t प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है।
	documents at $L(iv)$ g & h in part- I	t
11	CA scheme uploaded online in part II not properly	
	scanned State Government may upload a clear	<ul> <li>प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।</li> </ul>
	copy of the CA scheme.	
12	Aerial distance of the proposed area from the	CWLW certificate अपलोड कर दिया गया है।
	nearest wildlife sanctuary is mentioned as 470	UWLW Certificate अपलाड कर दिया गया हा
	mtr State Government may submit the comments	
	of CWLW in thes regard.	
13	In view of the above point no. xii details filled at	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
	para 8 seems not correct. State Government may	प्रमागाय प्रमावकारा स्तर से किया जागा हा
	direct the DFO to verify and fill the correct details	
	at para 8 in Part II	
14	Density is mentioned as 0.3 for 631 trees in 4.915	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
	ha. Area which does not appear to be correct and	प्रमागाय पंगावकारा सार से किया जाना है।
	may be corrected	
15	Tree enumeration list uploaded online in part II is	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
	not properly scanned. State Government may	
	uploaded the clear and complete copy of the tree	
	enumeration list online.	
16	Details of trees mentioned at para 4 in Part II are	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
	not matching with details mentioned in the tree	
	enumeration list uploaded in additional	
	documents. State Government may provide	
	claricication in this regard and remove this	
1	discrepancy	
17	Administrative approval and CA site suitbility is	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का पत्र एवं स्थल
	not found uploaded. Which may be uploaded.	उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
18	Following short coming are noticed in the muck	-
10	disposal plan. State Government is required to	
	make the necessary correction accordingly.	
(2)	State Government is required to mark the muck	मक डिस्पोजल साईट के०एम०एल० पर अंकित कर दी
(a)	disposal site in KML File	गई है।
	State Government may clarify whether 0.28 ha.	
(b)	Area selected for muck disposal is enough for the	0.28 है0 सिविल भूमि के अतिरिक्त 1.44 है0 नापभूमि
		पर मक डिस्पोजल किया जाना प्रस्तावित है।
	purpose Swell factor is not found calculated in the muck	यही कर हिमा ममा है।
(c)		सही कर दिया गया है।
	disposal plan	
(d)	It is seen that 6 sites of non- forest area mentioned	आनलाईन निराकरण कर दिया गया है।
	in muck disposal plan are not included in	
	component wise breakup at para B 2.4 in part I	
	which may be done	,

D:\Latter Forest2222222222.doc

	Total debris is mentioned as 1,26,000 cum out of which 83.792 cum mentioned to be consumed but balance calculated is 26.460 cum which is incorrect and seems not verified by DFO also. However muck disposal plan of only 34.425 cum is submitted instead of 39.208 cum. State Government may submit clarification and submit the correct muck disposal plan	
(f)	State Government is also requested to submit the reclamation plan	अपलोड कर दिया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सेवा में प्रेषित ।

अधिशासी अभियन्तां निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0 अस्क्रीट(पिथौरागढ़)

पत्रांक / 13 सी० तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो०नि०वि० पिथौरागढ़।
- 3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त अल्मोड़ा।
- 4. सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट ।
- 5. खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट ।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड़ लो०नि०वि० अस्कोट(पिथौरागढ़)